ई-मेल

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या– 1000/नौ–9–2015–163ज/97टी.सी.
लखनऊ: दिनॉक 30 अक्टूबर, 2015

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 2011) की धारा–4 की (1) के अधीन अधिसूचना संख्या–649/नौ–9–2011–163ज/2010 दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड हेतु सदस्यों के 04 पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार "सदस्य ऐसे व्यक्ति होगें, जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहरी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षो का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो"।

715/ST.M
OC(L.B)/D.I.O

बोर्ड के सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिये पद धारित करेंगे परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात कोई सदस्य पद धारित नहीं करेंगे। वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तो में उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। बोर्ड का कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नही करेगा।

जिलाधिकारी
3/11/15
बुलन्दशहर

आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2015 की सांय 6.00 बजे तक है। आवेदन पंजीकृत डाक से सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नाम से या नगर विकास विभाग के ई–मेल (cc.urbandev@gmail.com) पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

UO-V